शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य 08.11.2024

थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयावी,

शादी का झांसा देकर 07 साल तक यौन सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त रवि को तिलहर पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तिलहर के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम ,अवैध शराब, चोरी , लूट , डकैती, गौ तस्कर , बरामदगी अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ व वांछित अपराधी व वारन्टी की गिरफ्तारी के क्रम मे तिलहर पुलिस टीम द्वारा थाना तिलहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 613/24 धारा 69/351(2) बी0एन0एस0 के वांछित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी मो0 कुवरगंज कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 08.10.2024 को वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना तिलहर पर मु0अ0सं0 613/24 धारा 69/351(2) बी0एन0एस0 बनाम रवि कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी मो0 कुवरगंज कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर आदि के विरुद्ध बावत अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर वादिनी से लगभग 07 वर्ष तक शारीरिक सम्बन्ध बनाना, वादिनी द्वारा शादी के लिए कहने पर अभियुक्त व उसके परिवारीजन द्वारा वादिनी को जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध मे पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन कर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त रवि कुमार को आज दिनांक 08.11.2024 को मोहल्ला कुँवरगंज में अभियुक्त रवि के घर के सामने से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

- **गिरफ्तार अभियुक्त -**

1. रवि कुमार पुत्र अशोक कुमार नि0मो0 कुवरगंज कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर उम्र 27 वर्ष।

- **पंजीकृत अभियोग का विवरण –**

1. मु0अ0सं0 613/24 धारा 69/351(2) बी0एन0एस0 थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर बनाम रवि आदि।

- **अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-**

1. उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह कोतवाली तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. हे0का0 433 संजीव कुमार कोतवाली तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. हो0गा0 2032 विजय कुमार कोतवाली तिलहर जनपद शाहजहाँपुर